न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 126 सन 2019

अनवान :–

1. जावेद पुत्र मकबुल जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. मकबुल पुत्र सदीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री सजय कुमार जोशी अधिवक्ता गैरसायल1

निर्णय दिनांक :– 12/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/235 की कुल 8.4860हैक भूमि में से 0.8080हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

उक्त भूमि सायल के पिता की पुश्तैनी भूमि है जो परिवार का मुखीया होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी व प्रतिवादीगण समस्त कार्य हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार ही करते है इसलिये उपरोक्त भूमि में सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का गैरसायल न0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल न0 1 बुरी आदतों को आदि है तथा समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर समस्त भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी सायल के पास अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिये अन्य कोई साधन नही है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/235 की कुल 8.4860हैक भूमि में से 0.8080हैक भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है को ताफैसला दावा रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/265 की कुल 8.4860हैक मे से मुझ गैरसायल का 0.8080हैक भूमि दर्ज है जिसमें से 0.1631हैक भूमि जो पिता से विरास्तन से दर्ज हैएवं शेष बची भूमि 0.6449हैक जरिये दस्तबरदारी एवं खरीद शुद्वा है तथा मुस्लिम विधि में जब तक मुखिया जीवित है उसमें पुत्र व पुत्रीयों का कोई हक हिस्सा नही होता है प्रार्थना पत्र में वर्णित सायल व गैरसायल मुस्लिम धर्म की सुनी सम्प्रदाय से सम्बधित है मुस्लिम विधि से शासित है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

गैरसायल का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/235 की कुल 8.4860हैक भूमि में से 0.8080हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

उक्त भूमि सायल के पिता की पुश्तैनी भूमि है जो परिवार का मुखीया होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी व प्रतिवादीगण समस्त कार्य हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार ही करते है इसलिये उपरोक्त भूमि में सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का गैरसायल न0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल न0 1 बुरी आदतों को आदि है तथा समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर समस्त भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी सायल के पास अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिये अन्य कोई साधन नही है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/265 की कुल 8.4860हैक मे से मुझ गैरसायल का 0.8080हैक भूमि दर्ज है जिसमें से 0.1631हैक भूमि जो पिता से विरास्तन से दर्ज हैएवं शेष बची भूमि 0.6449हैक जरिये दस्तबरदारी एवं खरीद शुद्वा है तथा मुस्लिम विधि में जब तक मुखिया जीवित है उसमें पुत्र व पुत्रीयों का कोई हक हिस्सा नही होता है प्रार्थना पत्र में वर्णित सायल व गैरसायल मुस्लिम धर्म की सुनी सम्प्रदाय से सम्बधित है मुस्लिम विधि से शासित है मुस्लिम विधि के अनुसार सायल का गैरसायल के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है ना ही किसी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी है गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल एवं गैरसायल हिन्दु विधि या मुस्लिम विधि से शासित है एवं वाद भूमि पर कौनसी विधि लागू होगी प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/265 की कुल 8.4860हैक मे से 0.8080हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात गैरसायल वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रथत दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन रिकार्डेड खातेदार अर्थात गैरसायल न0 1 के पक्ष में पाया जाता है।

सायल गैरसायल न0. 1 का पुत्र है एवं वाद भूमि पैतृक सम्पति का कथन कर हिन्दु विधि के अनुसार अपने हकों की मांग कर रहा है जबकि गैरसायल का कथन है कि मुस्लिम विधि के अनुसार सायल का उसके जीवनकाल में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र के शीर्षक के अनुसार सायल व गैरसायल न0 1 पर मुस्लिम विधि लागू होना प्रतित होते है जिसके कारण प्रार्थना पत्र पर मुस्लिम विधि लागू मानी जावे तो सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है विस्तृत विवेचन तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर होना है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो प्रस्तुत बैयनामा/ दस्तबरादारी के आधार पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होना प्रतित होता है सायल गैरसायल के नाम दर्ज समस्त भूमि पर स्थगन चाहता है जो न्यायोचित नही है साथ ही गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित नही है यदि रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति रिकार्डेड खातेदार को होती है अर्थात गैरसायल न0 1 को होगी ना की सायल को अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में पाया जाता है

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 26.09.2019 को रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/235 की कुल 8.4860हैक में से गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 0.8080हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)